

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 210]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 2 मई 2013—वैशाख 12, शक 1935

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 2 मई 2013

क्र. एफ 4-60-2013-अठारह-1.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 345 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिका लेखा नियम, 1971 के नियम 132 (1) के खण्ड (दो) (क) एवं (ख) में प्राक्कलनों का तकनीकी एवं वृत्तिक अनुमोदन देने की शक्ति मुख्य अभियंता के स्थान पर प्रमुख अभियंता को प्रत्यायोजित की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, उपसचिव.